



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168663

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7834/2026

रामहारी एवं अन्य

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : राम तिवारी

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 161/2026, धारा 190, 191(2), 191(3), 109(1), 125, 351(3), 352 बी.एन.एस. तथा धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, थाना जुनावई, जनपद-संभल में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदकों को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकों को वर्तमान प्रकरण में सात अन्य नामजद अभियुक्तों तथा चार अज्ञात व्यक्तियों के साथ झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार द्वारा उस घटना के संबंध में दर्ज कराई गई है, जिसमें दो पक्षों द्वारा कथित रूप से एक-दूसरे के साथ ईंट-पत्थर, लाठी, डंडा तथा कुछ घातक हथियारों से मारपीट की जा रही थी। यह बिना चोट का प्रकरण है। आवेदकों को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4- विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक अपने झूठे फंसाए जाने की ओर संकेत करने में सक्षम नहीं हुए हैं। पुलिस ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दो समूहों के मध्य हो रही लड़ाई में हस्तक्षेप किया और निष्पक्ष रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। उन्होंने प्रार्थना की कि आवेदकों को कोई रियायत प्रदान न की जाए।

5- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6- आवेदक संख्या 1 का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है तथा आवेदक संख्या 2 का एक प्रकरण का आपराधिक इतिहास है, तथापि यह नहीं बताया गया है कि वे पूर्व में दोषसिद्ध हो चुके हैं। आवेदकों को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। यह तथ्य कि यह बिना चोट का प्रकरण है, विद्वान ए.जी.ए. द्वारा विवादित नहीं किया गया है।

7- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदकों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8- उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदकों का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

9- आवेदकगण-**रामहरी एवं पुष्पा** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के अपने-अपने व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

i- आवेदकगण जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;

ii- आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाएं;

iii- आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे;

iv- आवेदकगण अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे।

10- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजनार्थ हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल)

11 अगस्त, 2026

ए. पांडे

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।